रजिस्टर्ड नं० एल० [illegible]

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार 16 जनवरी 1971
पौष 26, 1892 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या 6165 (1)/17—330-70

लखनऊ, 16 जनवरी, 1971

विज्ञप्ति

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित
ण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, 1970 पर दिनांक 13 जनवरी, 1971 ई० को अनुमति
ो और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1971 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित
ाता है।

बिष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1971)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

राई क्षेत्र में और उसके आस-पास उगाये गये अतिरिक्त गन्ने का यथा-सम्भव पूरा-पूरा उपयोग
ा दृष्टि से जिससे उस क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों की सहायता विष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड
सके द्वारा धृत कार्यविरत प्लांट का शक्कर के उत्पादन के लिये जो कि एक आवश्यक वस्तु है,
और पर्याप्त संख्या में लोगों के सेवायोजन की व्यवस्था हो सके तथा उपक्रम का इस प्रकार
रने की दृष्टि से जिससे सामान्य हित का अधिकाधिक पोषण हो, राज्य सरकार को लोकहित में
ान्ट को चला सकने के लिये सक्षम बनाने के प्रयोजनार्थ उपरोक्त प्लांट तथा अन्य सम्पत्ति
की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

ारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

—यह अधिनियम विष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम
कहलायेगा।

—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में— परिभाषायें

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य विष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड से है, जो कम्पनीज
ट, 1956 में यथा पारिभाषित ऐसी कम्पनी है जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय किच्छा, जिला
ीताल में है;

(ख) "कलेक्टर" का तात्पर्य जिला नैनीताल के कलेक्टर से है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है ;

(ग) "न्यायालय" का तात्पर्य जिला न्यायाधीश, नैनीताल के न्यायालय से है ;

(घ) कम्पनी के "उपक्रम" का तात्पर्य किच्छा, जिला नैनीताल में स्थित कम्पनी की सम्पूर्ण भूमि और भवनों से है, जिसके अन्तर्गत किच्छा में शक्कर के कारखाने को जैसा वह 12 सितम्बर, 1970 के ठीक पूर्व कम्पनी में स्वामित्व, कब्जा, अधिकार या नियन्त्रण में था स्थापित करने और चलाने [जिसके लिये इंडस्ट्रीज (डेवलपमेन्ट एन्ड रेगुलेशन) एक्ट, 1951 के अधीन कम्पनी ने लाइसेंस प्राप्त किया था] से सम्बन्धित नालियां, पुलियां, पुल, सड़कें, स्टोर हाउस तथा चिमनी, टरबाइन और बायलर्स [जिसमें नींव, ऊपरी ढांचा (सुपर स्ट्रक्चर) तथा छत भी सम्मिलित है] और रेलवे साइडिंग, नलकूप, विद्युत् अधिष्ठापन तथा अन्य आनुषंगी पदार्थ (अपार्टनिन्सेज) और फिक्सचर्स, और किच्छा में स्थित भूमि और भवनों में कम्पनी द्वारा धृत पट्टेदारी अधिकार या कोई अन्य हित भी है और सम्पूर्ण प्लांट और मशीनरी और अन्य सज्जा [जिसमें मिलिंग प्लांट, बाइलिंग हाउस सज्जा तथा शक्कर बनाने की अन्य मशीनरी, वर्कशाप मशीनरी, गन्ना उतारने की सज्जा तथा पावर प्लांट, फर्नीचर, लोको-मोटिव्स और अन्य गाड़ियां, तोलन पट्ट (वे ब्रिज) और क्रेन्स सम्मिलित हैं] और स्टोर्स, प्लांस, सेक्शन्स, ड्राइंग्स, डिजाइन्स तथा अन्य लेख्य हैं, किन्तु जिसके अन्तर्गत ऐसी रोकड़ बाकी, हस्तस्थ रोकड़, रक्षित निधि, विनियोजन और खाता ऋण, या (ऐसी सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों से भिन्न जिन्हें इसके पूर्व उपक्रम में समाविष्ट उल्लिखित किया गया है) कोई अन्य सम्पत्तियां तथा परिसम्पत्तियाँ जिनका सम्बन्ध उक्त शक्कर के कारखाने की प्रस्तावित स्थापना और उसे चलाने से न हो या ऐसी सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों से, जिन्हें इसके पूर्व उपक्रम में समाविष्ट उल्लिखित किया गया है, सम्बन्धित संविदों से भिन्न किसी संविदा से प्रोद्भूत कोई अधिकार या दायित्व, नहीं है।

निहित होना

3—इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, कम्पनी का उपक्रम इस अधिनियम के सामर्थ्य से कम्पनी के या उपक्रम से सम्बद्ध किसी ऋण, बन्धक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकार, न्यास या तत्सदृश आभार से मुक्त होकर राज्य सरकार को अन्तरित हो जायगा और उसमें निहित हो जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा ऋण, बन्धक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकार, न्यास या तत्सदृश आभार उपक्रम के स्थान पर धारा 8 में अभिदिष्ट प्रतिकर से सम्बद्ध हो जायगा।

निहित होने का सामान्य प्रभाव

4—इस अधिनियम में दिये गये अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये कम्पनी के उपक्रम से सम्बन्धित सभी संविदाय, (सिवाय उन संविदाओं के जिनसे धारा 3 में अभिदिष्ट कोई ऋण, बन्धक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकार, न्यास या तत्सदृश आभार सृजित होता है) जो 12 सितम्बर, 1970 के ठीक पूर्व प्रचलित रही हों और जिनसे कम्पनी पर प्रभाव पड़ता हो, कम्पनी या किसी ऐसे व्यक्ति के जो प्रतिभू हो या जिसने उनके अनुपालन के लिये प्रत्याभूति दी हो विरुद्ध प्रभावी या प्रवर्तनीय नहीं रह जायेगी और राज्य सरकार के विरुद्ध या पक्ष में उसी प्रकार पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावी होगी और उसी प्रकार पूर्णतया तथा प्रभावकारी ढंग से प्रवर्तनीय होगी मानो उनमें कम्पनी के बजाय राज्य सरकार का नाम हो अथवा वह उनमें एक पक्ष हो।

सम्पत्ति आदि का कब्जा देने का कर्त्तव्य

5—(1) यदि कोई सम्पत्ति धारा 3 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो जाय तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियन्त्रण में सम्पत्ति हो, तुरन्त सम्पत्ति कलेक्टर को सौंप देगा।

(2) कोई व्यक्ति जिसके कब्जे या नियन्त्रण में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर कम्पनी से सम्बन्धित कोई ऐसे बही, लेखा या अन्य पत्रादि हों जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गये हों और जो कम्पनी के होते यदि कम्पनी का उपक्रम राज्य सरकार में निहित न होता, उक्त बहियों, लेखों और पत्रादि के लिये राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा और उन्हें कलेक्टर को सौंप देगा।

(3) राज्य सरकार के नियन्त्रण के अधीन रहते हुये, कलेक्टर ऐसी सभी सम्पत्तियों का जो धारा 3 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गयी हों, कब्जा लेने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा और विशेष रूप से ऐसे बल का प्रयोग करने का प्राधिकार दे सकती है, जो आवश्यक हो।

ब्योरे प्रस्तुत करने का कर्त्तव्य

6—कम्पनी, ऐसी अवधि के भीतर जिसके लिये राज्य सरकार तदर्थ अनुज्ञा दे, राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करे अपने उपक्रम में समाविष्ट सभी सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों की तथा उनकी प्रतिभूति पर उपगत और 12 सितम्बर, 1970 को प्रचलित कम्पनी के सभी दायित्वों तथा आभारों की और धारा 4 में अभिदिष्ट सभी संविदाओं की भी एक पूरी तालिका प्रस्तुत करगी और राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये कम्पनी को सभी उचित सुविधायें देगी।

कतिपय संविदाओं को अस्वीकार करने का सरकार का अधिकार

7—(1) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी ऐसी संविदा का किया जाना, जिसके अधीन कम्पनी का दायित्व हो या होगा अथवा हो सकता हो, कम्पनी के कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ उचित रूप से आवश्यक नहीं था अथवा यह सद्भाव से नहीं की गयी है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से 2 वर्ष के भीतर संविदा से उन्मुक्ति पाने के लिये न्यायालय को आवेदन-पत्र दे सकती

और यदि न्यायालय का इस विषय में ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाय कि संविदा कम्पनी के कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ उचित रूप से आवश्यक नहीं थी अथवा वह सद्भावना से नहीं की गयी थी तो वह संविदा रद्द करने अथवा उसमें परिवर्तन करने का आदेश ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह आरोपित करना उचित समझे, दे सकता है, और तदुपरान्त संविदा प्रभावी न रह जायगी या, जैसी भी दशा हो, ऐसे परिवर्तन के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन-पत्र सामान्यतया सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 6 और 7 की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा मानो वह आवेदन वाद-पत्र हो और संविदा के, जिसे रद्द करने या जिसमें परिवर्तन करने की याचना हो, सभी पक्ष कार्यवाही में पक्षकार बनाये जायेंगे ।

8—(1) राज्य सरकार, कम्पनी के उपक्रम का अर्जन करने के लिये कम्पनी को प्रतिकर के रूप में 1,31,59,372 रुपये (एक करोड़ इकतीस लाख उन्सठ हजार और तीन सौ बहत्तर रुपये) की धनराशि का उसमें से ऋण तथा उस पर ब्याज (जिसके अन्तर्गत दंड स्वरूप ब्याज भी है) और कर (जिसके अन्तर्गत शास्ति की राशि भी है) की उस सम्पूर्ण धनराशि को जो कम्पनी द्वारा राज्य सरकार को देय हो काटने के पश्चात् भुगतान करेगी । उपक्रम का अर्जन करने के लिये प्रतिकर

(2) प्रतिकर की धनराशि का उक्त शेष उस दिनांक से जब धारा 5 में अभिदिष्ट सम्पत्ति, बहियां, लेख्य या अन्य पत्रादि यथाविधि सौंप दिये जायं या उस दिनांक से जब धारा 6 में अभिदिष्ट ब्योरे यथाविधि दे दिये जायें, जो भी पश्चातवर्ती हों, (जिसे आगे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) छ: माह के भीतर कम्पनी के नाम न्यायालय में जमा किया जायगा और उक्त दिनांक के बारे में किसी मतभेद या विवाद का विनिश्चय न्यायालय द्वारा किया जायगा ।

(3) प्रतिकर की उक्त धनराशि पर उक्त दिनांक से न्यायालय में जमा किये जाने के दिनांक तक छ: प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा ।

(4) उपधारा (1) में अभिदिष्ट कटौतियों की शुद्धता के बारे में किसी मतभेद या विवाद का विनिश्चय न्यायालय द्वारा किया जायगा और यदि न्यायालय यह उपपादित करे कि काटी गयी धनराशि राज्य सरकार को वस्तुत: देय धनराशि से अधिक है तो राज्य सरकार उपधारा (3) में निर्दिष्ट ब्याज सहित अन्तर का भुगतान करेगी ।

(5) कम्पनी के उपक्रम से सम्बद्ध किसी ऐसे ऋण, बंधक, भार या अन्य प्रभार या धारणाधिकार, न्यास या तत्सदृश आभार के आधार पर कोई दावा, जो धारा 3 के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन प्रतिकर से सम्बद्ध हो, चाहे उसके आधार पर कोई डिक्री प्राप्त की गयी हो या नहीं, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से छ: माह के भीतर न्यायालय को प्रस्तुत किया जा सकता है । प्रत्येक ऐसा दावा सामान्यतया सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 6 और 7 की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा, मानो वह कोई वाद-पत्र हो ।

(6) न्यायालय उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक भुगतान और उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत किये गये प्रत्येक दावे की सूचना कम्पनी को देगा ।

(7) उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन न्यायालय में जमा की गयी धनराशि न्यायालय द्वारा उपधारा (5) के अधीन किसी दावे के सम्बन्ध में दिये गये अपने न्याय-निर्णय के अनुसार चुका दी जाएगी, और न्यायालय किसी ऐसी सम्पूर्ण धनराशि या उसके भाग को निकालने या विनियोजित करने के संबंध में ऐसे अन्तरिम आदेश दे सकता है जिन्हें वह ठीक और इष्टकर समझे ।

9—धारा 7 या धारा 8 के अधीन न्यायालय का प्रत्येक अन्तिम विनिश्चय और प्रत्येक ऐसे विनिश्चय के आधारों का कथन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 के क्रमश: खंड (2) और (9) के अर्थ में डिक्री और निर्णय समझा जायगा और मूल डिक्रियों के विरुद्ध अपीलों पर प्रयोज्य उक्त संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय को अपील की जा सकेगी और उच्च न्यायालय का ऐसी अपील पर विनिश्चय अंतिम होगा । अपील

10—(1) कोई भी व्यक्ति जो— शास्तियां

(क) अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियन्त्रण में किसी ऐसी सम्पत्ति को, जो कम्पनी के उपक्रम का भाग हो, रखते हुये, धारा 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करके उस सम्पत्ति को कलेक्टर को देने से रोक लेता है ; या

(ख) किसी ऐसी सम्पत्ति का जो कम्पनी के उपक्रम का भाग हो और जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार में निहित हो, अनुचित रूप से कब्जा प्राप्त कर लेता है ; या

(ग) किसी ऐसे लेख को जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियन्त्रण में हो और जिसे धारा 5 के अधीन देना उससे अपेक्षित हो कलेक्टर को देने से जानबूझ कर रोकता है या उसको नहीं देता है ; या

(घ) धारा 6 की अपेक्षानुसार तालिका जानबूझकर प्रस्तुत नहीं करता है ; या

(ङ) उससे ऐसी तालिका प्रस्तुत करने की अपेक्षा किये जाने पर, उसमें किन्हीं ऐसे ब्योरों को देता है जो मिथ्या हों और जिन्हें वह या तो मिथ्या होना जानता है या मिथ्या होने का विश्वास करता है अथवा सत्य होने का विश्वास नहीं करता है,

ऐसी अवधि के लिये जो तीन वर्ष तक हो सकती है, कारावास से या अर्थदण्ड से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन किसी अपराध पर विचार करने वाला कोई न्यायालय, अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराते समय उसे यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे समय के भीतर, जो न्यायालय द्वारा निश्चित किया जायगा, अनुचित रूप से रोकी गयी या अनुचित रूप से प्राप्त की गयी किसी सम्पत्ति अथवा जानबूझकर रोके गये या प्रस्तुत न किये गये किसी लेख्य को सौंप दें या वापस कर दे।

(3) कोई भी न्यायालय सिवाय राज्य सरकार की या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के, इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

11—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो कम्पनी और साथ ही प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का व्यवसाय चलाने के लिये उसका प्रभारी तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी तो वह इस धारा में की गयी किसी बात से किसी दण्ड का भागी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि वह अपराध कम्पनी के किसी मैनेजिंग एजेन्ट या सेक्रेटरीज और ट्रेजरर्स, या निदेशक, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से हुआ है अथवा यह कि अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो कम्पनी के ऐसे मैनेजिंग एजेन्ट या सेक्रेटरीज और ट्रेजरर्स, या निदेशक, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ भी है, और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

सदभावना से किये गये कार्य के लिये संरक्षण

12—इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार या उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिये प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध अथवा कम्पनी के उपक्रम के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कार्यरत किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन अथवा विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने का अधिकार

13—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल 14 दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उनके अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16, 1970 का निरसन

14—विष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) अध्यादेश, 1970 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

No. 6165 (1)/XVII—330-70

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bist Industrial Corporation Limited (Upkram Ka Arjan) Adhiniyam, 1970 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 1971), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 13, 1971:

THE BIST INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED (ACQUISITION OF UNDERTAKING) ACT, 1970

(UTTAR PRADESH ACT NO. 7 OF 1971)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the acquisition of the idle plant and other property belonging to or held by the Bist Industrial Corporation Limited, for the purpose of enabling the State Government in the public interest to commission the said plant with a view to bringing to use, to the fullest extent possible, the surplus sugarcane grown in and around the Tarai area and thereby helping the sugarcane growers of that area, utilising the said plant for the production of sugar, which is an essential commodity and providing employment to a considerable number of people and so managing the undertaking as best to subserve the common good.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :

1. This Act may be called the Bist Industrial Corporation Limited (Acquisition of Undertaking) Act, 1970. **Short title.**

2. In this Act, unless the context otherwise requires— **Definitions.**

(*a*) "the Company" means the Bist Industrial Corporation Limited, being a company as defined in the Companies Act, 1956, having its registered office at Kichha, district Naini Tal ;

(*b*) "the Collector" means the Collector of Naini Tal District and includes any officer authorised by him to perform the functions of the Collector under this Act ;

(*c*) "the Court" means the Court of District Judge, Naini Tal ;

(*d*) "the undertaking" of the Company means the entire land and buildings belonging to the Company situated at Kichha, district Naini Tal, including drains, culverts, bridges, roads, store-house and the chimney, turbine and boilers (including the foundations, super-structure and roofing) and railway siding, tube-well, electric installations and other appurtenances and fixtures, and also lease-hold rights or any other interest held by the Company in land and buildings situated at Kichha, and the entire plant and machinery and other equipment (including milling plant, boiling house equipment and other sugar machinery, workshop machinery, cane unloading equipment and power plant, furniture, locomotives, and other vehicles, weigh-bridges and cranes) and stores, plans, sections, drawings, designs and other documents relating to the establishment and running of a sugar factory at Kichha [for which licence was obtained by the Company under the Industries (Development and Regulation) Act, 1961], as was immediately before the 12th day of September, 1970, in the ownership, possession, power or control of the Company, but does not include cash balances, cash in hand, reserve fund, investments and book debts or any properties and assets (other than properties and assets hereinbefore specified as comprised in the undertaking) not connected with the proposed establishment and running of the said sugar factory or any rights or obligations arising out of any contract other than contracts pertaining to the properties and assets hereinbefore specified as comprised in the undertaking.

3. On the commencement of this Act, the undertaking of the Company shall by virtue of this Act, be and stand transferred to and vest, in the State Government free from any debt, mortgage, charge or other encumbrance or lien, trust or similar obligation of the Company or attaching to the undertaking : **Vesting.**

Provided that any such debt, mortgage, charge or other encumbrance or lien, trust, or similar obligation shall attach to the compensation referred to in section 8 in substitution for the undertaking.

General effect of vesting.

4. Subject to the other provisions contained in this Act, all contracts, relating to the undertaking of the Company, which are subsisting immediately before the 12th day of September, 1970 and affecting the Company, other than contracts creating any debt, mortgage, charge or other encumbrance or lien, trust or similar obligation referred to in section 3 shall cease to have effect or be enforceable against the Company or any person who was surety or had guaranteed the performance thereof and shall be of as full force and effect against or in favour of the State Government and enforceable as fully and effectually as if instead of the Company the State Government had been named therein or had been a party thereto.

Duty to deliver possession of property, etc.

5. (1) Where any property has vested in the State Government under section 3 every person in whose possession or custody or under whose control the property may be shall forthwith deliver the property to the Collector.

(2) Any person who, on the commencement of this Act, has in his possession or under his control any books, documents or other papers relating to the Company which have vested in the State Government under this Act and which would have belonged to the Company if the undertaking of the Company had not vested in the State Government shall be liable to account for the said books, documents and papers to the State Government and shall deliver them up to the Collector.

(3) Subject to the control of the State Government the Collector may take all necessary steps for securing possession of all properties which have been vested in it under section 3, and in particular, may authorise the use of such force as may be necessary.

Duty to furnish particulars.

6. The Company shall, within such period as the State Government may allow in that behalf, furnish to the State Government or to such officer as the State Government may specify in that behalf a complete inventory of all properties and assets comprised in its undertaking and also of all liabilities and obligations of the Company incurred on the security thereof and subsisting on the 12th day of September, 1970 and also of all contracts referred to in section 4, and the State Government shall afford the Company all reasonable facilities for this purpose.

Right of Government to disclaim certain contracts.

7. (1) Where it appears to the State Government that the making of any contract relating to the undertaking under which the Company has or will have or may have liabilities was not reasonably necessary for the purpose of the activities of the Company or has not been entered into in good faith, the State Government may, within two years from the commencement of this Act, apply to the Court for relief from the contract, and the Court, if satisfied after making such inquiry in the matter as it thinks fit that the contract was not reasonably necessary for the purposes of the activities of the Company or has not been entered into in good faith, may make an order cancelling or varying the contract on such terms as it may think fit to impose, and the contract shall thereupon cease to have effect or, as the case may be, shall have effect subject to such variation.

(2) Every application under this section shall conform generally to the requirements of Orders VI and VII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 908, as if such application were a plaint and all the parties to the contract which is sought to be cancelled or varied shall be made parties to the proceeding.

Compensation for acquisition of undertaking.

8. (1) The State Government shall pay a sum of Rs.1,31,59,372 (rupees one crore, thirty-one lakhs, fifty-nine thousand, three hundred and seventy-two) as compensation to the Company for the acquisition of the undertaking of the Company after deducting therefrom all amounts of loan and interest thereon (including penal interest) and taxes (including penalty) due to it from the Company.

(2) The said balance of the amount of compensation shall be paid into court to the credit of the Company within six months from the date on which the property, books, documents or other papers referred to in section 5, are duly delivered or the date on which the particulars referred to in section 6, are duly delivered whichever be later (hereinafter in this section referred to as the said date) and any difference or dispute about the said date shall be decided by the court.

(3) The said amount of compensation shall carry interest at the rate of six per cent per annum from the said date till the date of payment into court.

(4) Any difference or dispute about the correctness of the deductions referred to in sub-section (1) shall be decided by the court and if the court finds that the amount deducted exceeds the amount actually due to the State Government the State Government shall pay the difference together with interest as specified in sub-section (3).

(5) Any claim based on any debt, mortgage, charge or other encumbrance lien, trust or similar obligation attaching to the undertaking of the Company, which under the proviso to section 3 shall attach to the compensation, whether or not a decree has been obtained on the basis thereof, may be preferred to the court within six months from the commencement of this Act. Every such claim shall conform generally to the requirements of Orders VI and VII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908, as if it were a plaint.

(6) The court shall give notice of every payment made under sub-section (4) and of every claim preferred under sub-section (5) to the Company.

(7) The sums paid into the court under sub-section (1) or sub-section (4) shall be disbursed by the court in accordance with its adjudication of any claim under sub-section (5), and the court may make such interim orders respecting withdrawal or investment of the whole or part of any such sum as it thinks just and expedient.

9. Every final decision of the court under section 7 or section 8 shall be deemed to be a decree, and the statement of the grounds of every such decision a judgment, within the meaning of clauses (2) and (9) respectively of section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 and subject to the provisions of the said Code applicable to appeals from original decrees, an appeal shall lie therefrom to the High Court, and the decision of the High Court on such appeal shall be final. Appeal.

10. (1) Any person who— Penalties.

(*a*) having in his possession, custody or control any property forming part of the undertaking of the Company, withholds such property from the Collector in contravention of the provisions of section 5 ; or

(*b*) wrongfully obtains possession of any property forming part of the undertaking of the Company which has vested in the State Government under this Act ; or

(*c*) wilfully withholds or fails to deliver to the Collector any document which may be in his possession, custody or control and which he is required to deliver under section 5 ; or

(*d*) wilfully fails to furnish an inventory as required by section 6 ; or

(*e*) when required to furnish such inventory, furnishes any particulars therein which are false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

(2) Any court trying any offence under clause (*a*), clause (*b*) or clause (*c*) of sub-section (1) may, at the time of convicting the accused person, order him to deliver up or refund within a time to be fixed by it any property wrongfully withheld or wrongfully obtained or any document wilfully withheld or not furnished.

(3) No court shall take cognizance of an offence punishable under this section except with the previous sanction of the State Government or of an officer authorised by the State Government in that behalf.

11. (1) If the person committing an offence under this Act is a Company, the Company as well as every person in charge of and responsible to the Company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly : Offences by Companies.

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a Company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any managing agent, secretaries and treasurers, director, manager or other officer of the Company, such managing agent, secretaries and treasurers, director, manager or other officer of the Company shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation—For the purposes of this section—

(*a*) "Company" means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals ; and

(*b*) "Director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

Protection of acts done in good faith.

12. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or an officer authorised by it to perform any function under this Act, or against any officer or employee serving in connection with the affairs of the undertaking of the Company, for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Power to make rules.

13. (1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than fourteen days, extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette* subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period, agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Repeal of U. P. Ordinance No. 16 of 1970.

14. The Bist Industrial Corporation Limited (Acquisition of Undertaking) Ordinance, 1970, is hereby repealed.

आज्ञा से,

प्रेम प्रकाश,

सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 290 गजट (हिन्दी)—1971—2,035 + 100 (